दिनांक - 03.12.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा अन्तर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 03 शातिर वाहन चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशानदेही पर चोरी की 09 मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल के पार्ट व अन्य सामान बरामद

बरामदगी का विवरणः-

- **09 चोरी की मोटरसाइकिल**
- **04 मोटरसाइकिल के साईलेंसर**
- **04 मोटरसाइकिल के अलॉय व्हील**
- **01 लोहे का स्पोक रिम**
- **04 मोटरसाइकिल के कैरियर (लोहे के)**
- **04 मोटरसाइकिल के लेग गार्ड (लोहे के)**
- **01 फर्जी नंबर प्लेट**

अवगत कराना है कि दिनांक 30.11.2024 को वादी श्री प्रवीण कुमार पुत्र रामनाथ निवासी ग्राम माल्ली पोस्ट पुण्डन थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटर साइकिल न. UP11BF2812 मिशन कम्पाउण्ड के पास से चोरी हो जाने की सूचना के सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 701/24 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा घटना का तत्काल संज्ञान लेकर वाहन चोरी की घटना का सफल अनावरण व अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिए गये। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 03.12.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए **अन्तर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 03 शातिर वाहन चोर/अभियुक्तगण 1. सोनू उर्फ़ साजिद पुत्र जुल्फान निवासी किराये का मकान सोनू का शक्ति विहार कॉलोनी थाना मॉडल टाउन जिला पानीपत हरियाणा, 2. नितिन कुमार पुत्र ओमप्रकाश निवासी किराये का मकान शिवम का नवीन नगर शिव मंदिर के पास थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर** को छोटी लाइन पर चैकिंग के दौरान आईटीसी रोड के पास से चोरी की 02 मोटरसाइकिल (मुकदमा उपरोक्त में चोरी गयी मोटर साइकिल न. UP11BF2812 स्पेलण्डर प्लस (रंग काला) व 01 अन्य मोटरसाइकिल स्पलेन्डर प्लस UK07FL8814 (रंग काला) सम्बन्धित मु0अ0सं0 138/24धारा 303(2) बीएनएस भादवि थाना प्रतापुरा जनपद यमुनानगर, हरियाणा) सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण की निशानदेही पर रेलवे विभाग के टूटे पडे क्वार्टर में अलग-अलग स्थानो से चोरी की गयी 07 चोरी की मोटरसाइकिल व दो प्लास्टिक के बोरों में भरा मोटरसाइकिल का सामान बरामद। सामान की निगरानी कर रहे अभियुक्त **3. शोएब पुत्र नाजिम नि. ग्राम पथरवा थाना बेहट जनपद सहारनपुर** को रेलवे के टूटे पड़े क्वाटर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी

व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 709/24 धारा 317(5) बीएनएस के पंजीकृत किया गया एवं मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2)/318(4)/336(2)/61(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अभियुक्तो के विस्तृत आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का संक्षिप्त विवरणः- अभियुक्त सोनू उर्फ़ साजिद उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं मजूदरी करता हूँ तथा मेरा जीजा नितिन कारपेन्टर का काम करता है। हम दोनों से जो ये बाइके पकड़ी गयी है ये दोनों मोटरसाइकिल हम लोगो ने चोरी की थी, बिना नंबर की स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल को हम लोगो ने 02 दिन पहले कचहरी के पीछे की कॉलोनी से दोपहर में चोरी किया था तथा बताया कि मेरा एक और साथी है जिसका नाम शोएब है जो बेहट में मोटरसाइकिल मैकेनिक की दुकान चलाता है, हम लोग सहारनपुर के अलग स्थानों व अन्य राज्यों से बाइक चोरी करते है और उसके बाद मैं और शोएब मिलकर इन मोटरसाइकिलो के साईलेंसर, अलॉय व्हील, कैरियर बदल देते है ताकि इनकी पहचान छुपाई जा सके और मोटर साइकिलो की नंबर प्लेट हटा देते है ताकि हमको कोई पकड ना ले। मोटरासाइकिलों से निकाला हुआ समान हम लोग बेच देते है तथा बाद में जैसे ही कोई ग्राहक मिलता है मोटरसाइकिल को भी बेच देते है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पताः-

1. सोनू उर्फ़ साजिद पुत्र जुल्फान निवासी किराये का मकान सोनू का शक्ति विहार कॉलोनी थाना मॉडल टाउन जनपद पानीपत (हरियाणा)

2. नितिन कुमार पुत्र ओमप्रकाश निवासी किराये का मकान शिवम का नवीन नगर शिव मंदिर के पास थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर

3. शोएब पुत्र नाजिम निवासी ग्राम पथरवा थाना बेहट जनपद सहारनपुर

बरामदगी-

- 01 मोटर साइकिल स्पलेन्डर प्लस रंग काला न. UP11 BF2818 (सम्बन्धित मु0अ0सं0 701/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना सदर बाजार)
- 01 मोटर साइकिल अपाचे रंग सफेद न. UP11BL7657 (सम्बन्धित मु0अ0सं0 702/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना सदर बाजार)
- 01 मोटर साइकिल स्पलेन्डर प्लस रंग सिल्वर न. UP11AH4036 (सम्बन्धित मु0अ0सं0 703/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना सदर बाजार)
- 01 मोटर साइकिल हीरो स्पलेन्डर प्लस रंग काला न.UP11B9081 (सम्बन्धित मु0अ0सं0 692/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना सदर बाजार)
- 01 मोटर साइकिल स्पलेन्डर प्लस रंग काला न. UK07FL88144 (सम्बन्धित मु0अ0सं0 138/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना प्रतापपुरा यमुना नगर हरियाणा)
- 01 मोटर साइकिल स्पलेन्डर प्लस रंग काला न. HR06AW8630 (सम्बन्धित मु0अ0सं0 829/24 धारा 303(2) बीएनएस थान चान्दनी पानीपत हरियाणा)
- 01 मोटर साइकिल स्पेलण्डर प्लस रंग काला न. HR06AS4219
- 01 मोटर साइकिल प्लेटिना रंग सिल्वर

- 01 मोटर साइकिल स्पलेन्डर प्लस रंग काला न. UP11BP 9571
- 01 फर्जी नम्बर प्लेट
- मोटरसाइकिल का सामान (**04 साईलेंसर, 04 अलॉय व्हील, 01 रिम स्पोक वाला लोहे का, 04 मो०सा० के कैरियर लोहे के, 04 लेग-गार्ड मो०सा० के लोहे**)

अभियुक्त सोनू उर्फ साजिद उपरोक्त का आपराधिक इतिहास --

1. मु0अ0सं0 306/21 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 307/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर

अभियुक्त नितिन उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 197/11 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

अभियुक्त शोएब उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

निल

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री देवेन्द्र अधाना थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 मौ0 जहांगीर थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
4. उ0नि0 श्री सुरेश कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
5. उ0नि0 श्री सुशील कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
6. है0का0 67 कुलदेव थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
7. है0का0 850 सचिन थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
8. है0का0 660 कपिल थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
9. है0का0 1815 विशाल थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
10. का0215 सुमित थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर

दिनांकः 03.12.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से पशु चोरी कर गौकशी की घटना कारित करने वाला शातिर गौकश अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 जिन्दा गाय, घटना मे प्रयुक्त पिकअप गाडी व गौकशी के उपकरण बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में पशु चोरी/गौकशी की घटनाओ की रोकथाम हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम के कुशल नेतृत्तव मे दिनांक 02.12.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना गागलहेडी पुलिस टीम द्वारा रात्रि गस्त के दौरान एक सदिग्ध पिकअप गाडी को रूकवाया गया जिसमे सवार 03 व्यक्तियो मे से दो व्यक्ति रात्रि के अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गये तथा **01 शातिर पशु चोर/गौकश अभियुक्त रिहान कुरैशी पुत्र इमरान कुरैशी निवासी मौ0 मजहर हसन कस्बा व थाना चिलकाना जिला सहारनपुर** को भगवानपुर रोड से अमरपुर चांदपुर गांव की ओर जाने वाले लिंक रोड से रात्रि में गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त पिकअप गाड़ी, 02 जिन्दा गाय व गौकशी के उपकरण (04 रस्सी, 02 छूरी, 01 दाव, 01 कुल्हाडी, 01 लकडी का गुटका, 04 प्लास्टिक के बोरे, 01 मोबाइल फोन व 3,800 रूपये नकद) बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना गागलहेड़ी पर मु0अ0सं0 262/24 धारा 3/5क/8 सीएल एक्ट बनाम रिहान आदि के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त एक शातिर किस्म का अभ्यस्त अपराधी है जिसके द्वारा थाना चिलकाना व थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में पशु चोरी की घटना करना स्वीकार किया गया है। जिसके सम्बन्ध में थाना को0देहात पर (मु0अ0स0 437/24 धारा 303(2) बीएनएस व मु0अ0स0 442/24 धारा 303(2) बीएनएस) व थाना चिलकाना पर (मु0अ0स0 235/24 धारा 303(2) बीएनएस) पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछः- गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि उसके दो साथी जो मौके से भाग गये है हम तीनो लोग अपनी पिकअप गाडी सं0 UK17CA5140 से ग्राम अमरपुर-चांदपुर के जंगल से दो गौवंशो को पकड कर पिकअप मे डालकर गौकशी करने के लिये जा रहे थे। अभियुक्त ने कडाई से पूछने पर बताया कि हम लोग पशु चोरी कर गौकशी करने का काम करते हैं माह अक्तूबर मे हम लोगो ने थाना कोतवाली देहात के गाँव नंदी फिरोजपुर व ग्राम हलालपुर तथा थाना चिलकाना के गाँव हरडाखेडी मे से गाय-बैलो को अलग-अलग दिनो मे चोरी किया था तथा सभी गोवंशो को चोरी वाले दिन ही अपने परिचित को बेच दिये था। आज जो 3800/- रूपये मेरे पास से मिले है चोरी के पशुओ को बेचकर मेरे हिस्से में कुछ रूपये आये थे, बाकी पैसे मुझसे खर्च हो गये है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

रिहान कुरैशी पुत्र इमरान कुरैशी निवासी मौ0 मजहर हसन कस्बा व थाना चिलकाना जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 3,800 रूपये नकद
- 02 रास गाय
- 01 मोबाइल फोन
- गौकशी के उपकरण (04 रस्सी, 02 छूरी, 01 लोहे का दाव, 01 कुल्हाडी, 01 लकडी का गुटका, 04 प्लास्टिक के बोरे)

अभियुक्त रिहान उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

01. मु0अ0स0 97/2020 धारा 380,457 भादवि थाना सरसावा
02. मु0अ0स0 03/24 धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना कुतुबशेर
03. मु0अ0स0 11/24 धारा 380,411,457 भादवि थाना को० देहात
04. मु0अ0स0 12/24 धारा 380,411,457 भादवि थाना को० देहात
05. मु0अ0स0 03/24 धारा 380,457 भादवि थाना चिलकाना
06. मु0अ0स0 30/24 धारा 380 भादवि थाना चिलकाना
07. मु0अ0स0 33/24 धारा 3/25/27 आर्मस एक्ट व 380,411,457 भादवि थाना चिलकाना
08. मु0अ0स0 154/24 धारा 3/25 आर्मस एक्ट व 380,457,411 भादवि थाना चिलकाना
09. मु0अ0स0 196/24 धारा 8/20/29 एनडीपीएसएक्ट थाना चिलकाना
10. मु0अ0स0 430/2020 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना चिलकाना
11. मु0अ0स0- 437/2024 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली देहात
12. मु0अ0स0- 442/2024 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली देहात
13. मु0अ0स0- 235/2024 धारा 305(2)/317(2) बीएनएस थाना चिलकाना
14. मु0अ0स0- 262/2024 धारा 3/5क/8 सीएस एक्ट थाना गागलहेडी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. उ0नि0 श्री लोकेश सिंह राणा थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री हितेश कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 810 राहुल चौहान थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 342 आशीष तोमर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।
5. है0का0 अनुज कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः-03.12.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहानरपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना सरसावा के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 03.12.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी **अभियुक्त अतुल कुमार पुत्र शिवकुमार निवासी ग्राम हैदरपुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद सं0 2846/2024 व मु0अ0स0 256/2013 धारा 379/411 भादवि चालानी थाना सरसावा को ग्राम हैदरपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अतुल कुमार पुत्र शिवकुमार निवासी ग्राम हैदरपुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री विनय कुमार थाना सरसावा सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री आकाश कुमार थाना सरसावा सहारनपुर
3. है0का0 661 सम्राट थाना सरसावा सहारनपुर
4. का0 2504 रवि कुमार थाना सरसावा सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 03.12.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 03 वाछित अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एंव क्षेत्राधिकारी द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 03.12.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा **03 वाछित अभियुक्तगण 1. ऋषि कुमार उर्फ चोल्लू पुत्र राजेश्वर निवासी ग्राम दाबकी गुर्जर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर, 2.अरुण उर्फ शीशू पुत्र जगपाल निवासी ग्राम दाबकी गुर्जर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर व 3. अक्षय उर्फ बुद्धु पुत्र ऋषिपाल उर्फ चोल्लू निवासी ग्राम दाबकी गुर्जर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर** को सम्बन्धित मु0अ0सं0 489/2024 धारा 109/191(2)/115(2)/352/351(3) बीएनएस में ग्राम दाबकी गुर्जर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पताः-

1. ऋषि कुमार उर्फ चोल्लू पुत्र राजेश्वर निवासी ग्राम दावकी गुर्जर थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर
2. अरुण उर्फ शीशू पुत्र जगपाल निवासी ग्राम दाबकी गुर्जर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
3. अक्षय उर्फ बुद्धु पुत्र ऋषिपाल उर्फ चोल्लू निवासी ग्राम दावकी गुर्जर थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर

अभियुक्त ऋषि कुमार उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0स0 240/17 धारा 323/354/452/504/506 भा0द0वि0 थाना को0 देहात
2. मु0अ0स0 334/24 धारा 115/251(3)/352 बीएनएस थाना को0 देहात
3. मु0अ0स0 349/24 धारा 115/126(2)/351(3)/352 बीएनएस थाना को0 देहात

अभियुक्त अक्षय उर्फ बुद्धु उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0स0 240/17 धारा 323/354/452/504/506 भा0द0वि0 थाना को0 देहात
2. मु0अ0स0 349/24 धारा 115/126(2)/351(3)/352 बीएनएस थाना को0 देहात
3. मु0अ0स0 482/22 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना को0 देहात जनपद
4. मु0अ0स0 334/24 धारा 115/251(3)/352 बीएनएस थाना को0 देहात

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री सुनील कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।
3. उ0नि0 श्री इन्द्रापाल सिह थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर
4. है0का0 241 कपिल कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।
5. का0 1487 जयकुमार थाना को0देहात जनपद सहारनपुर

दिनांकः 03.12.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 03.12.2024 को थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी **अभियुक्त राकेश पुत्र जय सिह निवासी 8/1494 मदनपुरी कालोनी थाना मण्डी सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद सं0-19221/22 , धारा 138 एनआई एक्ट चालानी थाना मण्डी सहारनपुर नियत दिनांक 07/12/2024 (न्यायालय अतिरिक्त न्यायालय सहारनपुर) मे अभियुक्त को मदनपुरी कालोनी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अभियुक्त राकेश पुत्र जय सिह निवासी 8/1494 मदनपुरी कालोनी थाना मण्डी सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री रणवीर सिंह थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. है0का0 906 विपिन राठी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. है0का0 477 विनोद कुमार थाना मण्डी सहारनपुर
4. का0 978 विपिन कुमार थाना मण्डी सहारनपुर
5. का0 1600 मनोज आर्य थाना मण्डी सहारनपुर

दिनांकः 03-12-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द पुलिस द्वारा मात्र 14 घण्टे में डी0सी0एम0 (चार पहिया वाहन) चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 वाहन चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की डी0सी0एम0 ओपन बॉडी बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 02.12.2024 को वादी श्री मौ0 शहजाद साबरी पुत्र श्री मौ0 शमीम साबरी नि0 मौ0 मजनूवाला रोड थाना देवबन्द सहारनपुर की लिखित सूचना बाबत अभियुक्त कल्लू पुत्र करतारा नि0 ग्राम डेहरा थाना देवबन्द सहारनपुर के द्वारा वादी की डी0सी0एम0 17 फुटी नं0 UK07CA6134 को चोरी कर लेने के सम्बन्ध मे थाना देवबंद पर मु0अ0स0 660/24 धारा 303(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल डीसीएम चोरी की घटना का संज्ञान लेकर डीसीएम की बरामदगी व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में वाहन चोरी/नकबजनी आदि घटनाओ की रोकथाम व अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 03.12.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में मात्र 14 घण्टे में डीसीएम चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए **01 वाहन चोर/अभियुक्त कल्लू पुत्र करतारा निवासी ग्राम केडी बाबरी थाना बाबरी जनपद शामली (हाल पता ग्राम डेहरा थाना देवबन्द जिला सहारनपुर)** को रणखण्डी चौकी से थोडा आगे ग्राम अम्बेटाशेखा की ओर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की डीसीएम ओपन बॉडी रजि०नं0 UK07CA6134 बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 317 (2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त कल्लू उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मै ट्रक ड्राइविंग का काम करता था वर्तमान में ई-रिक्शा चलाता हूँ, ई-रिक्शा की चाबी लगाकर मैने डीसीएम चोरी कर लिया था। आज मैं चोरी की गयी डीसीएम को बेचने के लिए जा रहा था। पुलिस ने चैकिंग के दौरान में मुझे पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः–

कल्लू पुत्र करतारा निवासी ग्राम कडी बाबरी थाना बाबरी जनपद शामली हाल पता ग्राम डेहरा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

अभियुक्त कल्लू उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0स0 349/2017 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना देवबन्द सहारनपुर
2. मु0अ0स0 9000/2017 धारा 411 भादवि व 102/41 सीआरपीसी थाना देवबन्द सहारनपुर
3. मु0अ0स0 704/2017 धारा 201/302/504 भादवि थाना देवबन्द सहारनपुर
4. मु0अ0स0 994/2017 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना देवबन्द सहारनपुर
5. मु0अ0स0 358/2009 थाना देवबन्द सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः–

01 ट्रक ओपन बॉडी रजि०नं0 UK07CA6134

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री राजन पुण्डिर थाना देवबंद जनपद सहारनपुर
2. है0का0158 जितेन्द्र कुमार थाना देवबंद जनपद सहारनपुर
3. है0 का 0561 शमीम थाना देवबंद जनपद सहारनपुर
4. का0 2107 रवि राठी थाना देवबंद जनपद सहारनपुर

दिनांकः 03-12-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द एण्टीरोमियों पुलिस टीम द्वारा महिलाओ पर अश्लील फब्तिया कसने वाले 01 मनचले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में महिला सम्बन्धी अपराध की रोकथाम व मिशन शक्ति के तहत मनचले अभियुक्तो की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 03.12.2024 को थाना देवबन्द एण्टीरोमियों पुलिस टीम द्वारा रास्ते पर आने-जाने वाली महिलाओ/छात्राओं को देखकर अश्लील फब्तियां कसने वाले व अश्लील गाने गाने वाले **01 मनचले अभियुक्त शादाब पुत्र ताहसीम नि0 मौ0 खानका थाना देवबंद जनपद सहारनपुर** को कासिमपुरा रोड मुस्तफा गार्डन से पहले ट्रासंफार्मर के पास तिराहे से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध मे थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0- 662/24 धारा 296 बीएनएस पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही अमल मे लायी जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः–

शादाब पुत्र ताहसीम नि0 मौ0 खानका थाना देवबंद जनपद स0पुर उम्र करीब 22 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली एण्टीरोमियों पुलिस टीमः-

1. म0उ0नि0 मिथलेश राठौर थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।
2. का0 1492 कपिल राणा थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।
3. म0का0 25 गुलशाना थाना देवबंद जिला सहारनपुर।

दिनांकः 03.12.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश।

थाना साइबर क्राइम, सहारनपुर पुलिस द्वारा पीडित से ट्रेडिंग के नाम पर धोखाधड़ी में ठगी गयी धनराशि से कुल 12,02,840/- रुपये की धनराशि पीडित के खाते में करायी गयी वापस

अवगत कराना है कि वादी शहजाद पुत्र इस्तेखार नि०छुटमलपुर थाना फतेहपुर, सहारनपुर द्वारा दिनांक 08.08.2024 को थाना साइबर क्राइम, सहारनपुर पर उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर दी कि जालसाज द्वारा ट्रेडिंग सम्बन्धी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कराकर ठगी करने के आशय से ट्रेडिंग के नाम पर धन दोगुना करने का लालच देकर वादी के साथ कुल 21,98,864/- रूपये की धोखाधड़ी से ऑनलाइन ठगी के सम्बन्ध में थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर पर मु0अ0सं0 44/24 अन्तर्गत धारा 420 भादवि व 66डी आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेते हुए ठगी गयी धनराशि वापस दिलाने हेतु प्रभारी साइबर क्राइम थाना को आदेश-निर्देश दिए । आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर, सहारनपुर (नोडल अधिकारी साइबर क्राइम) के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री पंकज त्रिपाठी के कुशल नेतृत्व में थाना साइबर क्राइम टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए वादी के 12,02,840/- रुपये की धनराशि विवेचना क्रम में होल्ड करा दी गयी थी जिसको वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करते हुए धारा 457 CRPC के अंतर्गत **वादी की समस्त होल्ड धनराशि 12,02,840/- रुपये को पीड़ित के खाते में वापस करायी गयी।**

अनावरण करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री पंकज त्रिपाठी थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर
2. है०का० निशान्त तोमर थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर
3. का० अनिल कुमार थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर
4. का० अबनेश कुमार थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर
5. का० गौरव नैन थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर

CAUTION- किसी भी अन्जान व्यक्ति के साथ ओटीपी शेयर न करे, जालसाजो से सावधान रहे एवं किसी भी प्रकार का साइबर फ्राड होने पर साइबर हेल्प लाईन नम्बर 1930 या WWW.CYBERCRIME.GOV.IN पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराये।

दिनांकः 03.12.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना साइबर क्राइम, सहारनपुर पुलिस द्वारा पीडित से ट्रेडिंग के नाम पर धोखाधड़ी में ठगी गयी धनराशि से कुल 15,92,659/- रुपये की धनराशि पीडित के खाते में करायी गयी वापस

अवगत कराना है कि वादी कार्तिक सुखीजा 105 मिशन कंपाउंड, थाना सदर बाज़ार, सहारनपुर द्वारा दिनांक 31.08.2024 को थाना साइबर क्राइम, सहारनपुर पर उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर दी कि जालसाज द्वारा ट्रेडिंग सम्बन्धी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कराकर ठगी करने के आशय से ट्रेडिंग के नाम पर धन दोगुना करने का लालच देकर वादी के 40,00,000/- रू0 धोखा घड़ी से ऑनलाइन ठग लिए गए है। जिसके सम्बन्ध में थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर पर मु0अ0सं0 55/24 अन्तर्गत धारा 420 भादवि व 66डी आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेते हुए ठगी गयी धनराशि वापस दिलाने हेतु प्रभारी साइबर क्राइम थाना को आदेश-निर्देश दिए। आदेश अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर, सहारनपुर (नोडल अधिकारी साइबर क्राइम) के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री पंकज त्रिपाठी के कुशल नेतृत्व में थाना साइबर क्राइम टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए वादी के **15,92,659 रु०** धनराशि विवेचना क्रम में होल्ड करा दी गयी थी जिसको वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करते हुए धारा 457 CRPC के अंतर्गत **वादी की समस्त होल्ड धनराशि 15,92,659 रु० को पीड़ित के खाते में वापस करायी गयी।**

अनावरण करने वाली पुलिस टीमः-

6. प्रभारी निरीक्षक श्री पंकज त्रिपाठी थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर
7. है०का० निशान्त तोमर थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर
8. का० अनिल कुमार थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर
9. का० अंकित जाखड़ थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर
10. का० गौरव नैन थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर

CAUTION- किसी भी अन्जान व्यक्ति के साथ ओटीपी शेयर न करे, जालसाजो से सावधान रहे एवं किसी भी प्रकार का साइबर फ्राड होने पर साइबर हेल्प लाईन नम्बर 1930 या WWW.CYBERCRIME.GOV.IN पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराये।

दिनांकः 03.12.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना साइबर क्राइम, सहारनपुर पुलिस द्वारा व्यापार के सम्बन्ध में गलती से गलत खाते में ट्रांसफर की गयी कुल 05,00,000/- रूपये की धनराशि पीडित के खाते में करायी गयी वापस

अवगत कराना है कि दि० 30.11.2024 को वादी दीपक कुमार पुत्र रामिशन नि0 ग्राम भटपूरा थाना सरसावा, सहारनपुर की लिखित सूचना बाबत पीड़ित द्वारा कारोबार के सम्बन्ध में गलती से गलत खाते में कुल 5,00,000/- रूपये की धनराशि स्थानांतरित कर देने व वापस न करने के सम्बन्ध में शिकायत दर्ज करायी थी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर गलती से गलत खाते में ट्रांसफर की गयी धनराखि पीडित के खाते में वापस कराने हेतु प्रभारी निरीक्षक साइबर क्राइम थाना सहारनपुर को आदेश-निर्देश दिए। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर, सहारनपुर (नोडल अधिकारी साइबर क्राइम) के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक/विवेचक थाना साइबर क्राइम श्री पंकज त्रिपाठी के कुशल नेतृत्व में **थाना साइबर क्राइम टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 03.12.2024 को पीडित द्वारा गलती से गलत खाते में ट्रांसफर की गयी पीड़ित की कुल धनराशि 5,00,000/- रूपये पीडित के खाते में वापस करायी गयी।**

पैसे वापस कराने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री पंकज त्रिपाठी थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर
2. क0ऑ0 गौरव तोमर थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर
3. है०का० निशान्त तोमर थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर
4. का० अंकित जाखड थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर
5. का० राकेश कुमार थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर

CAUTION- किसी भी अन्जान व्यक्ति के साथ ओटीपी शेयर न करे, जालसाजो से सावधान रहे एवं किसी भी प्रकार का साइबर फ्राड होने पर साइबर हेल्प लाईन नम्बर 1930 या WWW.CYBERCRIME.GOV.IN पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराये।